दिनांक 14.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 16/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 07 हजार 270 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13/14.07.2024 की रात्रि थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जुनैदपुर के पास से 02 अभियुक्तों 1–राज उर्फ मंगल 2–करन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 07 हजार 270 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.05.2024 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 09–09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राज उर्फ मंगल निवासी सरायघासी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर, हालपता ग्राम मौरना सेक्टर–35 थाना सेक्टर–24 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–करन निवासी ग्राम छपरौली थाना बाबूगढ़ जनपद बुलन्दशहर, हालपता ग्राम मौरना सेक्टर–35 थाना सेक्टर–24 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—लूट के 07 हजार 270 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 14.07.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीआईसी ग्राउण्ड के पास से 02 अभियुक्तों 1—अजय कुमार 2—बृजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.07.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय कुमार निवासी मिश्रीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

2—बृजेश निवासी बेहटा गम्भीरपुर थाना साढ़ कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना हजरतगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 14.07.2024 को थाना हजरतगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश निवासी डालीबाग थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ, स्थाई पता ग्राम नईकलां थाना रूधौली जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—चोरी की 09 दो पहिया वाहन।

एएनटीएफ थाना मेरठ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 कुन्तल 21 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त**
- **04 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपया, आधार कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 14.07.2024 को एएनटीएफ थाना मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुहाई इण्डस्ट्रियल एरिया रेलवे लाइन के पास थाना क्षेत्र मुरादनगर कमिश्नरेट

गाजियाबाद से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्तों 1–मुनीर 2–वीर 3–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 कुन्तल 21 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त, 04 मोबाइल फोन, नगद रूपया, आधार कार्ड आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुनीर निवासी देवचरा थाना भमोरा जनपद बरेली।

2–वीर निवासी ग्राम मानकुला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

3–राहुल निवासी ग्राम दहा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 कुन्तल 21 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त।

2–04 मोबाइल फोन।

3–नगद रूपया, आधार कार्ड आदि।

एस0टी0एफ0150 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रूपये) की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को एस0टी0एफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार

दिनाकः 14–07–2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को 150 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रूपये) की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को थाना जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– विश्वजीत बेहरा पुत्र प्रमोद बेहरा निवासी काठागढा, थाना डेकानाल, जिला डेकानाल, उड़ीसा

2– ज्ञाना रंजन बाघ पुत्र गणेश बाघ निवासी हरिकृष्णपुर, थाना ईट्‌ामाटी जिला नयागढ, उड़ीसा

बरामदगी–

1– 150 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ गांजा। (अन्र्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रूपये)

2– 01 अदद डीसीएम नं0–OD 05 BL 0275

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

4– नगद 1500/– रूपये ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय– बकेबर बार्डर पर ताज ढावा के सामने मुगल रोड हाइवे, दिनॉकः 14–07–2024 समयः 11:20 बजे ।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनो से विभिन्न माध्यमो से निरन्तर यह सूचनाये प्राप्त हो रही थी कि उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य पुनः सक्रिय हो गये हं, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में भारी मात्रा मे अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले हैं। इस सूचनाओ को विकसित कर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन करने एवं विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, कानपुर के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद यादव एवं मु0आ0 अशोक राजपूत द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभूिसचना संकलन के दौरान दिनांकः 14–07–2024 को विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य अवैध मादक पदार्थ गांजा की एक खेप लेकर उड़ीसा से लाकर फतेहपुर के जहानाबाद में किसी व्यक्ति को देने आने वाले हैं। इस सूचना पर उ0नि0

विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 की एक टीम मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस की मदद से थाना जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत बकेबर बार्डर पर ताज ढावा के सामने मुगल रोड हाइवे पर घेराबन्दी कर वाहनों की चैकिंग की गयी तो डीसीएम नं0–OD 05 BL 0275 से 150 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उड़ीसा के अंगुल स्थान से हरियाणा के हिसार हेतु स्क्रैप कागज को लोड कराकर गाड़ी को गाड़ी स्टैण्ड में खड़ा कर दिया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर के रहने वाले सुनील बेहरा द्वारा उक्त अभियक्तों से सम्पर्क कर पैसों का लालच देकर उक्त गॉजे को फतेहपुर के किसी राजेश नाम के व्यक्ति को देने हेतु कहा गया एवं सुनील बेहरा द्वारा इस कार्य हेतु उपरोक्त अभियुक्तों को 30000 हजार रूपये का भुगतान फतेहपुर के राजेश द्वारा करना बताया गया था।

पूछताछ में यह भी बताया कि सुनील बेहरा द्वारा कहा गया था कि तुम लोग जैसे ही बनारस पार करोगे तुम्हे माल कहॉ उतारना है, बता दिया जायेगा। सुनील द्वारा उन लोगों को बताया गया कि जहानाबाद नदी पार करने के बाद एक व्यक्ति आयेगा एवं गाड़ी से अपना माल ले लेगा और तुम्हे 30000/–रूपये दे देगा। हम लोग यहॉ उसी गॉजा को देने हेतु आ रहे थे।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर में मु0अ0सं0 86/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————